न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

मि.न. 46/2018,

व इजलास हेमन्त कुमार
(R.A.S)

उनवान

रोशनी पत्नी सुजान सिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग (भरतपुर) राज0

—वादिया

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र करतारसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
2. महाराजसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
3. रामदेवसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
4. तहसीलदार,डीग(भरतपुर)राज0

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

—प्रतिवादीगण

दावा तक्सीम व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 10.01.2022

वादिया द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 6701/0.12, 6695/0.12 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुत0 वादिया व प्रति0 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मुताविक जमाबन्दी हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काविज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। पक्षकारान के द्वारा मनवट वंटवारा कर रखा था और मनवट बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। आ. ख. नम्बर 6701/0.12 के दक्षिण दिशा व खसरा नम्बर 6695/0.12 के पूर्व दिशा में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय किया क्योंकि वादीगण का आराजी मुत0 से लगती हुई अन्य खातेदारी की आराजी है व प्रति0 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया आराजी मुत0 के मुताविक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। वादिया आराजी मुत0 के मुताविकं हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अलग अलग कुरा कराना चाहती है। निवेदन है कि आराजी मुत0 खसरा नम्बरान 6701/0.12, 6695/0.12 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के वादिया मुताविक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अलग अलग कुरे कराये जाकर खाता व लग अलग कुरा कराना चाहती है। निवेदन है कि आराजी मुत0 खसरा नम्बरान 6701/0.12, 6695/0.12 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के वादिया मुताविक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अलग अलग कुरे कराये जाकर खाता व लगान कायम कराई जावे तथा वादिया प्रति0 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावंद कराया जावे कि उक्त आराजीयात में बिना विभाजन कराये दीगर लोगों को रहन वय मुन्तकिल नही करें व कोई निर्माण कार्य नहीं करें व वादिया को उसके हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करें।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.05.2018 को प्रति0 संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 04.03.2020 को प्रति0 सं0 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.10.2020 को दावे को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार डीग को कुरा प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार डीग के पत्रांकः भू0अ0/21/4455 दिनांक 29.10.2021 द्वारा कुरा रिपोर्ट पेश की गई।

वकील वादिया उपस्थित ने मुताविक कुरे पर सहमति व्यक्त की गई। प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित अदालत नहीं आये। तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव पर वकील वादिया ने अपनी सहमति व्यक्य की जाकर कहा कि हम प्राप्त कुरा प्रस्ताव पर सहमत है तथा मुताविक कुरा प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने कुरा प्रस्ताव पर अपनी सहमति के आदेशिका दिनांक 10.01.2022 पर अपने हस्ताक्षर किये गये।

तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव दिनांक 29.10.2021 निम्नांनुसार हैः–

1. रोशनी पत्नी सुजानसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6695/1, रकबा 0.09 हैक्टे0 तथा आ.ख.नम्बर 6701/1, रकबा 0.05 हैक्टे0, कुल किता–2 रकबा 0.14 हैक्टे0,
2. भगवानसिंह पुत्र करतार जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6695/2, रकबा 0.03 हैक्टे0 तथा आ.ख.नम्बर 6701/2, रकबा 0.01 हैक्टे0, कुल किता–2 रकबा 0.04 हैक्टे0,
3. महाराजसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6701/3, रकबा 0.03 हैक्टे0, कुल किता–1 रकबा 0.03,
4. रामदेव पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6701/4, रकबा 0.03 हैक्टे0, कुल किता–1 रकबा 0.03 हैक्टे0,

तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी के द्वारा कुरा प्रस्ताव के आधार पर दावे को डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व कुरा प्रस्ताव के अवलोकन किये जाने के उपरांत हम दावा वादिया को कुरा प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाकर काविले डिक्री किये जाने योग्य समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादिया का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। **कुरा प्रस्ताव 01 लगायत 04 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान अनुसार वादी व प्रति0 को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

कि वर्णित आराजी में वे बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अन्तिम– डिक्री

(ऑर्डर 20 नियम–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीग (भरतपुर) व इजलास :– **हेमन्त कुमार**
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 46/2018,

रोशनी पत्नी सुजान सिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग (भरतपुर) राज0
–वादिया

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र करतारसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
2. महाराजसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
3. रामदेवसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0
4. तहसीलदार,डीग(भरतपुर)राज0

–प्रतिवादीगण

दावा तक्सीम व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

अतः वादिया का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। **कुरा प्रस्ताव 01 लगायत 04 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान अनुसार वादिया व प्रति0 को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** बैंक रहन मुताविक हिस्सा इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव दिनांक 29.10.2021 निम्नांनुसार हैः–

1. रोशनी पत्नी सुजानसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6695/1, रकबा 0.09 हैक्टे0 तथा आ.ख.नम्बर 6701/1, रकबा 0.05 हैक्टे0, कुल किता–2 रकबा 0.14 हैक्टे0,
2. भगवानसिंह पुत्र करतार जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6695/2, रकबा 0.03 हैक्टे0 तथा आ.ख.नम्बर 6701/2, रकबा 0.01 हैक्टे0, कुल किता–2 रकबा 0.04 हैक्टे0,
3. महाराजसिंह पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6701/3, रकबा 0.03 हैक्टे0, कुल किता–1 रकबा 0.03,
4. रामदेव पुत्र चरनसिंह जाति ठाकुर निवासी बहज खातेदार, आ.ख.नम्बर 6701/4, रकबा 0.03 हैक्टे0, कुल किता–1 रकबा 0.03 हैक्टे0,

निर्णय/पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
डीग(भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.